

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD  
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**TECHNICAL BID**

FOR

**Supply of Single Super Phosphate(SSP) powder /granulated /boronated  
/zincated F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan**

**during the year 2016-17**

**Estimated cost Rs. 25 Crore.**

**Office of the Managing Director,  
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd  
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.**

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD  
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

## **INDEX**

<b>S.No</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page Number</b>
1	NIT	1-2
2	General Instruction to Bidders	3-4
3	Instruction for Technical Bid <ul style="list-style-type: none"><li>• Scope of Bid</li><li>• Submission of Bid Application</li><li>• Details of Fees</li><li>• Employer Rights</li><li>• Site Visit</li></ul>	5-7
4	Application Form	8-9

(1)

राजस्थान राज्य सहकारी ऋय विक्रय संघ लि०,

4-भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2740081

फैक्स : 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

ई-बिड सूचना संख्या राजफैड/कृषि/2016-17/34

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजफैड के माध्यम से कृषि विभाग, राजस्थान सरकार में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से राज्य की ऋय विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट (पाउडर/दानेदार/बोरोनेटेड/जिंकेटेड) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु ऑन लाईन ई-बिड आमन्त्रित की जाती है, जिनकी डाउनलोडिंग व अपलोडिंग की अन्तिम तिथि 29.4.2016 है। विवरण दि० 6.4.2016 से वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [rajfed.gov.in](http://rajfed.gov.in), [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखें। संशोधन/शुद्धि पत्र भी इसी वेबसाइट पर दिया जावेगा।

प्रबन्ध संचालक

( 2 )

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD  
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

**Tel : 0141-2740081**

**Fax : 0141-2740457**

**E-Mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com**

**BID NO. RAJFED/ AI/34**

On-line Bids are hereby invited by Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd, Jaipur for supply of Single Super Phosphate(SSP) powder/granulated/boronated/zincated F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan in 2016-17 from manufacturers and marketeers of single super phosphate powder/granulated/boronated/zincated registered with Agriculture Department, Govt.of Rajasthan:

Item No.	Description	Estimated qty	Estimated cost (Rs.in Crores)	Bid Security (Rs.in lacs)	Bid Form Cost (In Rs)	Processing Fee ( In Rs)	Completion Period
1	Supply of Single Super Phosphate(Powder/Granulated/Boronated/zincated ) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan	50000 MT	25.00	50.00	1000	1000	12 months

1. Bid documents may be downloaded and uploaded on website :<http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. The cost of bid form is payable in the form of demand draft and the bid security amount shall be given in the form of Demand Draft in favour of, Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd, Jaipur, payable at Jaipur.
3. Processing fee shall be in the form of demand draft in favour of MD, RISL, Jaipur payable at Jaipur.
4. Bid security mentioned in the table is for 50,000 MT however if the quantity offered by the bidder is for less than 50,000 MT then the bidder will have to deposit bid security equivalent to 2% of the quantity offered @ Rs. 100/MT. The minimum offered quantity by a single bidder will be 10,000 MT.

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**बोली हेतु सामान्य निर्देश**

1. ई-बोली में भाग लेने की इच्छुक फर्म का अधिकृत वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीबद्ध होना आवश्यक है। सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार बोली लगाने वाली फर्म के लिए Digital Signature Certificate अनिवार्य है, जो अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्था यथा TCS, safecrypt, Ncode etc. से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी अथवा अन्य सहायता हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे के मध्य e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में अथवा toll free Phone No. 1800.3070.2232 (any time) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
2. बोली लगाने वाली फर्म के ऑनलाइन बोली के प्रशिक्षणार्थ e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, इच्छुक बोली लगाने वाले वहाँ सम्पर्क कर सकते हैं।
3. सशर्त बोली मान्य नहीं होगी।
4. बोली लगाने वाले डिमान्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त बोली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के दस्तावेज व्यक्तिशः राजफैड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करें।
5. तकनिकी बिड में सफल रहे बोली लगाने वालों की वित्तीय बिड राजफैड कार्यालय में दिनांक 2.5.16 को अपराह्न 3.00 बजे खोली जावेगी, जिसकी सूचना उन्हें पृथक से website :<http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दी जावेगी।
6. एसएसपी की अनुमानित मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो ई-बोली लगाने वालों को स्वीकार्य होगी। यदि एक से अधिक बोलीदाता की दर प्रथम न्यूनतम रहती है तो कुल मात्रा को अनुपातिक आधार पर प्रथम न्यूनतम बोलीदाताओं में बाँटा जावेगा एवं बिड सिक्यूरिटी राशि भी अनुपातिक आधार पर रखते हुये शेष राशि वापस लौटा दी जावेगी।
7. किसी भी बोली या समस्त बोलियों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध निदेशक को होगा।
8. बोली के साथ निम्नांकित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है, इनके अभाव में बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :-
  1. उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार में एस.एस.पी. आपूर्ति पर सबसिडी हेतु पंजीकरण।
  2. कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में एसएसपी आपूर्ति हेतु पंजीकरण का प्रमाण-पत्र एवं एस.एस.पी. उत्पादन/मार्केटिंग हेतु वैद्य प्राधिकारपत्र।
  3. कम्पनी की एस.एस.पी. उत्पादन क्षमता का राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
  4. वर्ष 2015-16 में कम्पनी द्वारा अनुदान पर आपूर्ति किये गये एस.एस.पी की मात्रा का वेरिफिकेशन कृषि विभाग द्वारा।

(4)

5. आयकर एवं बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र।
6. कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
7. कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का ओथरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।
8. फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/ स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
9. बोली में प्रति मै.टन दरें, सभी प्रकार करों सहित एवं एफ.ओ.आर. डस्टीनेशन सहित अंकित करनी होगी।
10. बोली प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही भरा जावें।
11. ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) फर्म बोली में भाग लेने के लिए अयोग्य (Disqualified) होगी। इसके अतिरिक्त जिन एसएसपी निर्माता फर्मों द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने के कारण राजफैड द्वारा पूर्व में डिफाल्टर घोषित किया जाकर उनकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त की गई हो, ऐसी फर्म्स भी इस बोली में भाग लेने हेतु अयोग्य होगी तथा ऐसी फर्म से प्राप्त बोली पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
12. बोली दस्तावेज शुल्क राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) के भुगतान के डिमाण्ड ड्राफ्ट्स राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि० के नाम जयपुर में भुगतान योग्य तथा प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट MD, RISL, के नाम जयपुर में भुगतान योग्य होने चाहिए। बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, प्रतिभूति राशि का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट्स के माध्यम से करना होगा एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैण्ड कॉपी बोली के साथ अपलोड करनी होगी तथा इनके मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट्स दिनांक 29.4.16 को अपराह्न 1.30 बजे तक राजफैड मुख्यालय में व्यक्तिशः जमा कराना सुनिश्चित करें, इनके अभाव में बिड स्वीकार्य नहीं होगी। तकनिकी बिड दिनांक 29.4.16 को अपराह्न 3.00 बजे खोली जावेगी।
13. बोली लगाने वाली फर्म के गठन के स्वरूप में किसी भी परिवर्तन की सूचना फर्म द्वारा राजफैड कार्यालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से देनी होगी तथा ऐसे परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से मूल फर्म को मुक्त नहीं किया जायेगा।
14. बोली लगाने वाला अपनी बोली अथवा उसके किसी भाग को ना तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न ही सबलेट कर सकेगा।
15. कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर सिंगल सुपर फॉस्फेट 16% पी2ओ5 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाय किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व कम्पनी की फ़ैक्ट्री की प्रयोगशाला में सेम्पल टेस्ट करवाना होगा तथा जाँच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने पर ही एस.एस.पी. की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्ति एस.एस.पी. की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
16. कृषि विभाग द्वारा समिति/फ़ैक्ट्री एवं फ़ील्ड से लिये गये एस.एस.पी. खाद के नमूनों को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।
17. एस.एस.पी. उर्वरक निर्माता/विपणनकर्ता को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक के प्रत्येक बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) तथा क्वालिटी सर्टीफाईड की सील अंकित करने के साथ-साथ तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) का स्पष्ट रूप से अंकन किया जाना आवश्यक है तथा अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

(5)

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि0,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081  
फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

तकनिकी बिड हेतु निर्देश

**कार्य का नाम** : वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से सिंगल सुपर फॉस्फेट (पाउडर/दानेदार/बोरोनेटेड/जिंकेटेड) की राजस्थान की क.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. में एफ.ओ.आर आपूर्ति हेतु।

**नियोक्ता का नाम** : प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि0, जयपुर

**1. बोली का विस्तृत विवरण :**

कार्य का विवरण : वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से सिंगल सुपर फॉस्फेट (पाउडर/दानेदार/बोरोनेटेड) की राजस्थान की क.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. में एफ.ओ.आर आपूर्ति हेतु।

S.No	Item	Details
1	कार्य की अनुमानित लागत	25 करोड रू.
2	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	50.00 लाख रू.
3	अनुमानित मात्रा	50,000 मै.टन
4	बोली दस्तावेज शुल्क प्रोसेसिंग फीस	1,000 रू.
5	कार्यावधि	12 माह
6	बोली दस्तावेज डाउनलोडिंग अवधि	दिनांक 6.4.16 को अपरान्ह 1.00 बजे से दिनांक 29.4.16 को प्रातः 11.30 बजे तक
7	बोली दस्तावेज अपलोडिंग की अन्तिम तिथि	दिनांक 29.4.16 को अपरान्ह 1.30 बजे तक
8	तकनिकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 29.4.16 को अपरान्ह 3 बजे
9	तकनिकी बिड खोलने का स्थान	राजफैड मुख्यालय, 4, भवानीसिंह रोड, जयपुर
10	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 2.5.16 को अपरान्ह 3 बजे
11	कार्यादेश जारी करने का संभावित माह	मई, 2016
12	बोली की वैधता	तकनिकी बिड खोलने के 90 दिवस तक

## 2. आवेदन पत्र की प्रस्तुति :

- यह ऑनलाइन ई-बोली प्रक्रिया दो लिफाफा पद्धति पर आधारित होगी, प्रथम लिफाफे अंतर्गत तकनिकी बिड प्रपत्र एवं बोली हेतु क्रम संख्या 3 के अनुसार वांछित भुगतान प्रमाण की स्केण्ड प्रतियों एवं सामान्य निर्देशों के क्रम संख्या 8 पर अंकित दस्तावेजों की स्केण्ड कोपियों तथा द्वितीय लिफाफे अंतर्गत वित्तीय बिड प्रपत्र अपलोड किये जावेंगे।
- बिड हेतु वांछित समस्त आवश्यक सूचनाएँ एवं वे समस्त दस्तावेज बोली लगाने वाली फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जावें, जो बोली की योग्यता के निर्धारण हेतु आवश्यक हों, के अभाव में असफल घोषित कर दिया जावेगा।
- बोली लगाने वाले द्वारा सही एवं सत्य सूचनाएँ उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- तकनिकी बिड में सफल रहे बोली लगाने वाले की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

## 3. शुल्क विवरण :

- बोली दस्तावेज शुल्क राशि ₹0 1,000/- का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि० के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा।
- एसएसपी 50000 मै.टन की अनुमानित लागत राशि की बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) राशि ₹0 50.00 लाख रु. है। यदि बोलीदाता द्वारा 50000 मै.टन एसएसपी आपूर्ति हेतु बोली प्रस्तुत की जाती है तो 50.00 लाख रु. की बोली प्रतिभूति राशि का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि० के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा। बोलीदाता द्वारा न्यूनतम 10000 मै.टन एसएसपी की ऑफर दी जानी होगी जिस हेतु बोली प्रतिभूति राशि ऑफर की गयी मात्रा का 2 प्रतिशत (100 रु. प्रति मै.टन) रहेगी जिसका भुगतान बोलीदाता द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि० के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा। एसएसपी की अनुमानित मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो ई-बोली लगाने वालों को स्वीकार्य होगी। यदि एक से अधिक बोलीदाता की दर प्रथम न्यूनतम रहती है तो कुल मात्रा को अनुपातिक आधार पर प्रथम न्यूनतम बोलीदाताओं में बाँटा जावेगा एवं बिड सिक्यूरिटी राशि भी अनुपातिक आधार पर रखते हुये शेष राशि वापस लौटा दी जावेगी।
- बोली प्रोसेसिंग शुल्क राशि ₹0 1,000/- का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, RISL के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा।

## 4. योग्यता निर्धारण :

- एसएसपी आपूर्ति हेतु ऑफर में केवल एस.एस.पी. उत्पादक या भारत सरकार, रसायन उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक 23011/1/2010-एमपीआर दिनांक 21.4.2010 द्वारा वर्ष 2010-11 में माह मई, 2010 से मार्च, 2011 तक जारी विपणन अनुमति के आधार पर जारी प्राधिकारपत्र होना आवश्यक है।
- एसएसपी आपूर्तिकर्ता कम्पनी का उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से एस.एस.पी. आपूर्ति पर अनुदान प्राप्त करने हेतु पंजीकरण आवश्यक है।
- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में एसएसपी आपूर्ति हेतु पंजीकरण का प्रमाण-पत्र एवं एस.एस.पी. उत्पादन/मार्केटिंग हेतु वैद्य प्राधिकारपत्र आवश्यक है।
- एस.एस.पी. उर्वरक निर्माता/विपणनकर्ता को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक के प्रत्येक बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) तथा क्वालिटी सर्टीफाईड की सील अंकित करने के साथ-साथ तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) का स्पष्ट रूप से अंकन



(7)

किया जाना आवश्यक है तथा अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

- बोली लगाने वाली फर्म्स जो निलम्बित, प्रतिबन्धित अथवा ब्लेक लिस्टेड है, वे प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी।
- सहउद्यम की दशा में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों की पालना पर ही लागू होंगे।
- आपूर्ति किये जाने वाले एसएसपी की गुणवत्ता फर्टिलाईजर कंट्रोल एक्ट 1985 के अनुसार होगी।

#### 5. नियोक्ता के अधिकार :

- बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का राजफैड का अधिकार सुरक्षित रहेगा, ऐसा करने का कारण लेखबद्ध किये जावेंगे।
- राजफैड परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

#### 6. साइट विजिट :

- बोली लगाने वाले की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोलियों में वर्णित उन समस्त आपूर्ति स्थलों एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण व विश्लेषण स्वयं जाकर करें तदोपरान्त ही बोली प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।

(8)

राजस्थान राज्य सहकारी ऋय विक्रय संघ लि०,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

आवेदन प्रपत्र

कार्य का नाम : वित्तीय वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से राजफैड के माध्यम से राज्य की ऋय विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट (पाउडर/दानेदार/बोरोनेटेड/जिंकेटेड) एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु ऑन लाईन ई-बिड :

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
2. फैक्ट्री का पूर्ण पता
3. दूरभाष/मोबाइल नंबर
4. फैक्स नंबर
5. वेब साइट
6. ई-मेल आई.डी.
7. निविदा कार्य संपादन हेतु : .....
- प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व पता .....
- .....
8. दूरभाष नं. ....

(9)

9. फर्म की एसएसपी उत्पादन क्षमता का विवरण :- .....
10. फर्म द्वारा राजफैड को ऑफर की गयी एसएसपी की मात्रा -----
11. वित्तीय बिड में वर्णित F.O.R. Destination पर पाउडर/दानेदार/बोरोनेटेड/जिंकेटेड एसएसपी आपूर्ति जिनमें लोडिंग-अनलोडिंग चार्ज, वेट, सर्विस टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के कर समाहित हैं, के लिए फर्म द्वारा अंकित की गई प्रति मै.टन की दरों पर आपूर्ति करने के लिए फर्म बाध्य है ।
12. राजफैड द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्देशित स्थान पर वांछित मात्रा में एसएसपी की आपूर्ति की जावेगी। इस अवधि में सम्प्रेषण समय भी सम्मिलित हैं।
13. निविदा एवं संविदा में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार्य हैं ।
14. निविदा के साथ निम्नानुसार वांछित समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिये गये हैं:-
1. उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार में एस.एस.पी. आपूर्ति पर सबसिडी हेतु पंजीकरण।
  2. कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में एसएसपी आपूर्ति हेतु पंजीकरण का प्रमाण-पत्र एवं एस.एस.पी. उत्पादन/मार्केटिंग हेतु वैद्य प्राधिकारपत्र।
  3. कम्पनी की एस.एस.पी. उत्पादन क्षमता का राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
  4. वर्ष 2015-16 में कम्पनी द्वारा अनुदान पर आपूर्ति किये गये एस.एस.पी की मात्रा का वेरिफिकेशन कृषि विभाग द्वारा।
  5. आयकर एवं बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  6. कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  7. कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का ओथरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।
  8. फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/ स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
  9. बोली सम्बन्धी कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकार पत्र।
  10. विगत 2 वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खातों की प्रतियाँ।
  11. बिड सिक्यूरिटी, टेण्डर फार्म कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस (कुल संख्या 3) के डीडी की स्केण्ड प्रतियाँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD  
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

**Tel : 0141-2740081**

**Fax : 0141-2740457**

**E-Mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com**

**FINANICAL BID**

**FOR**

**Supply of Single Super Phosphate(SSP) powder /granulated  
/boronated/zinceted F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan**

**during the year 2016-17**

**Estimated cost Rs. 25.00 Crores**

**Office of the Managing Director,  
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd  
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.**

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD  
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

## **INDEX**

<b>S.No</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page Number</b>
1	Declaration by the Bidders	01
2	Terms & Conditions of Contract	02-04
3	Bid of Rates	05-10

(1)

## DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd Jaipur (RAJFED) For supply of Single Super Phosphate (Powder/Granulated/Boronated/Zincated) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan in response to their Notice Inviting Bids No..... dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay any such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons “.
4. I/We do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Documents, which, materially affects fair competition;
6. I/We have visited the supply sites and fully acquainted myself/ourselves with the local situation regarding materials, labour and other factors pertaining to the work before submitting the tender of RAJFED regarding supply of Single Super Phosphate (Powder/Granulated/Boronated) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan.
7. I/We have carefully studied the instructions, conditions of contract and other documents of this work and I/We agree to execute the work accordingly.

Date:	Signature of Bidder	:
Place:	Name	:
	Designation	:
	Address	:

(2)

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

बोली की शर्तें

1. चारों प्रकार की एसएसपी यथा पाउडर/दानेदार/बोरोनेटेड/जिंकेटेड की दरों का अंकन वित्तीय बिड में शब्दों एवं अंको में अनिवार्यतः किया जावे, दोनों में अन्तर पाये जाने पर शब्दों में अंकित दर सही मानी जावेगी।
2. बोली में अंकित दरें प्रति मे.टन एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन सभी करों सहित होनी चाहियें। राजफैड द्वारा उक्त स्वीकृत दर के अतिरिक्त फर्म को अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. बोली लगाने वाली फर्म जिसकी बोली स्वीकार की गई है, उसे राजफैड का पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस में एक संविदा पत्र राजफैड के साथ निष्पादित करना होगा।
4. प्रत्येक कम्पनी को राजफैड द्वारा आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश की दिनांक से सात दिवस के अन्दर एस.एस.पी. की आपूर्ति करनी होगी। यदि कम्पनी द्वारा एस.एस.पी. आपूर्ति के दिये गये आदेशों के विरुद्ध सात दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो निम्न स्लेब अनुसार कम्पनी द्वारा एसएसपी की विलम्बित आपूर्ति के मूल्य में से पेनल्टी क्षतिपूर्ति राशि की कटौति की जावेगी :-
  1. आदेश दिनांक से 7 दिवस तक -
  2. आदेश दिनांक के 8 दिन से 10 दिन तक 5 प्रतिशत
  3. आदेश दिनांक के 11 दिन से 12 दिन तक 7.5 प्रतिशत
  4. आदेश दिनांक के 13 दिन से 15 दिन तक 10 प्रतिशत
  5. यदि किसी कम्पनी द्वारा राजफैड के एस.एस.पी. आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश के विरुद्ध 15 दिवस में एस.एस.पी. खाद की आपूर्ति नहीं की जाती है तो राजफैड को यह अधिकार होगा कि वह उस मॉग की आपूर्ति रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य किसी कम्पनी से करवा सकता है जिसमें देय अन्तर की राशि कम्पनी को वहन करनी होगी।
5. एस.एस.पी. आपूर्ति के आदेश राजफैड मुख्यालय, जयपुर द्वारा समितियों की मॉग के अनुरूप संबंधित कम्पनियों को दिये जावेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों/समितियों द्वारा एसएसपी आपूर्ति हेतु मॉग राजफैड मुख्यालय को भिजवायी जावेगी।
6. आपूर्तिकर्ता कम्पनी को राजफैड द्वारा एस.एस.पी. आपूर्ति की राशि का भुगतान संबंधित समितियों से प्राप्त होने के पश्चात् किया जावेगा। इस हेतु आपूर्तिकर्ता कम्पनीयों द्वारा निम्न सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने होंगे:-
  1. बिलों में समस्त छूटों का इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा।
  2. बिलों के साथ समितियों को माल के सही हालत में प्राप्त होने संबंधी सूचना/पुष्टी पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
  3. बिल के साथ माल आपूर्ति से पूर्व में फैक्ट्री प्रयोगशाला की सेम्पल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी होगी।
  4. राजफैड की अनुमोदित दर से कम दर पर राज्य में किसी भी एजेन्ट/डीलर को एस.एस.पी. की आपूर्ति नहीं गयी है, इस आशय का प्रमाण पत्र फर्म द्वारा प्रत्येक बिल पर देना होगा।
7. स्वीकृत कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के माध्यम से ही एसएसपी की आपूर्ति की जावेगी। किसी कम्पनी द्वारा सीधे समितियों को एस.एस.पी. की आपूर्ति नहीं की जावेगी। यदि किसी कम्पनी द्वारा ऐसा न करते हुये सीधी आपूर्ति की जाती है तो उस आपूर्ति मात्रा का भुगतान राजफैड स्तर से नहीं किया जावेगा साथ ही उस कम्पनी से किया गया रेट कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

(3)

8. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा राजफैड की अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को एस.एस.पी. का विक्रय नहीं किया जावेगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रत्येक बिल के साथ दिया जावेगा। यदि कम्पनी द्वारा राजफैड द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को एस.एस.पी. का विक्रय करना पाया गया तो कम्पनी को घटी हुई दर के हिसाब से ही भुगतान किया जावेगा। घटी हुई दरों की सूचना कम्पनी/फर्म तुरन्त राजफैड को उपलब्ध करवायेगी। यदि कम्पनी/फर्म स्वतः ही इसकी सूचना नहीं देती है व तत्पश्चात् राजफैड के ध्यान में आता है कि राजफैड से कम दर पर एस.एस.पी. आपूर्ति की गई है तो उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुये उसके माध्यम से किया जा रहा व्यवसाय समाप्त कर दिया जावेगा एवं जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर सिंगल सुपर फॉस्फेट 16%P2 O5(NACS), 14.5% P2 O5(WS) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व कम्पनी की फैक्ट्री की प्रयोगशाला में सेम्पल टेस्ट करवाना होगा तथा जॉच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने पर ही एस.एस.पी. की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्तित एस.एस.पी. की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
10. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये एस.एस.पी. खाद के नमूनों को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।
11. एस.एस.पी. की आपूर्ति 50 किग्रा पैकिंग में नये एच.डी.पी.ई. बैग में की जावेगी। क्षतिग्रस्त एवं कटे फटे थैलों में जमा हुआ एवं ढेले वाला एस.एस.पी. किसी भी स्थिति में समितियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) निम्न मामलों में जब्त करने का राजफैड को पूर्ण अधिकार होगा :-
  - (i) यदि बोली लगाने वाली फर्म की बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकृत करने से पूर्व बोली लगाने वाली फर्म प्रस्ताव वापस लेती है, या उसमें परिवर्तन प्रस्तावित करती है।
  - (ii) यदि बोली लगाने वाली फर्म/बोलीदाता निर्धारित समयावधि में संविदा पत्र निष्पादित करने में असफल रहती है।
  - (iii) बोली लगाने वाली फर्म द्वारा बोली के साथ गलत/असत्य तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में।
  - (iv) कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के अतिरिक्त सीधे ही आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।
  - (v) राजफैड की स्वीकृत दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को एसएसपी आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।



(4)

13. बिड प्रतिभूति राशि का पुर्नभुगतान वित्तीय वर्ष/संविदा अवधि की समाप्ति पश्चात कार्य संतुष्टि पर किया जावेगा तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. एसएसपी आपूर्ति करने में उत्पन्न बाधा यदि बोली लगाने वाली फर्म के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तथा सप्लाई अवधि समाप्ति से पूर्व राजफैड को इस बाबत सूचित कर दिया गया हो तो आपूर्ति की अवधि में परिनिर्धारित क्षति को क्षति-रहित करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध संचालक को होगा।
15. किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने पर प्रबन्ध संचालक, राजफैड का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इन्हीं शर्तों एवं अनुमोदित दरों पर संविदा अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(5)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि0,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081  
फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**BID OF RATES**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट (पाउडर) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

क्रं. सं.	राजफैड कार्यालय	क्षेत्रीय जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. वेट सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूंदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(6)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि०,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081  
फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**BID OF RATES**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को **सिंगल सुपर फॉस्फेट (दानेदार)** की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

क्रं. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. वेट सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूँदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(7)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि०,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**BID OF RATES**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट बोरोनेटेड (पाउडर) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

क्रं. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. वेट सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूँदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(8)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि0,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**BID OF RATES**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट बोरोनेटेड (दानेदार) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

क्रं. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. वेट सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूंदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(9)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि0,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**BID OF RATES**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट जिंकेटेड (पाउडर) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड कार्यालय	क्षेत्रीय जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. वेट सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूंदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार

2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर